न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः—1/17 दायरा दिनांकः— 17.03.2017

पीठासीन अधिकारी :— श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

रामप्रसाद पुत्र चैनराम जाति गुर्जर निवासी लाठखेडा तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान

— अपीलान्ट

बनाम

भूली बाई पुत्री गोपीलाल जाति सहरिया निवासी सिगरी, तहसील किशनगंज जिला बारां

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

श्री राधाबल्लभ नागर अभिभाषक — अपीलान्ट

श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार किशनगंज प्रकरण संख्या 4/16 निर्णय दिनांक 03.02.2017 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :— 30-7-2019

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 03.02.2017 प्रकरण संख्या 4/16 उनवान रामप्रसाद बनाम भूलीबाई अन्तर्गत धारा 183 (बी) की अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पर निर्णय पारित करने में भूल की निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्षय पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा यह भी गोर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट ने उक्त आराजी को अपीलान्ट सन् 1988—1991 में ही बेचान कर दिया था तथा 29 वर्षो से विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है तथा यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट ले उक्त आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया अपीलान्ट ने ही उक्त आराजी को काबिज काश्त बनाया है। रेस्पोडेन्ट ने झूठा प्रार्थना पत्र 183(बी) आर.टी.एक्ट पेश किया जो निराधार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र झूठा है तथा मियाद बाहर है तथा अपीलान्ट का कब्जा काश्त 12 वर्षो से अधिक समय से होने से रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र लाने से स्टोप्ड है तथा प्रार्थना पत्र183(बी) आर. टी.एक्ट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अपील के सम्बन्ध में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन में दोहराया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है क्योंकि मैं भूमि का क्रेता हूँ तथा भूमि क्रय किये हुये 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र 183(बी) मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। आर.आर.डी. अक्टूबर 2002 पेज 623 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि 1988—1991 में क्रय की थी। 183(बी) की कार्यवाही 12 वर्ष से अधिक समय बाद की है। अतः मियाद बाहर होने से 183(बी)

कार्यवाही निरस्त योग्य है। अपील स्वीकार कर निर्णय तहसीलदार किशनगंज दिनांक 03.02.2017 निरस्त फरमावें। बहस के दौरान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधी सम्मत है। एस.सी. /एस.टी. की जमीन को सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। अगर खरीदी है तो गैर कानूनी है। कब्जा भी अवैध है। अतः धारा 183(बी) का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधी सम्मत होने से अपील खारिज योग्य है। अपील खारिज फरमावें।

उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि आराजी ख.नं. 122/4 रकबा 7 बीघा ग्राम सिगरी तहसील किशनगंज रेस्पोडेण्ट भूलीबाई पुत्री गोपीलाल सहरिया की खातेदारी में है। अपीलान्ट भूमि क्रय करने बाबत् जो दस्तावेज की प्रति पेश की है। उक्त दस्तावेज रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज नहीं है। उक्त कथित बेचान दस्तावेज में ख.नं. भी अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर दर्शाया गया कथित बेचान विधी सम्मत नहीं माना जा सकता है। अनुसूचित जनजाति (सहरिया) की भूमि का बेचान सामान्य जाति के पक्ष किया गया हो तो भी शून्य है।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट की खातेदारी आराजी ख.नं. 122/4 रकबा 7 बीघा ग्राम सिगरी पर किया गया कब्जा विधी विरूद्ध होना सिद्ध होता है निर्णय तहसीलदार किशनगंज दिनांक 03.02.2017 अन्तर्गत धारा 183(बी) उचित पाये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:49:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: